रजिस्ट्री सं डी (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 1986/फाल्गुन 8, 1907
No. 66] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 1986/PHALGUNA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1986

का आ 76 (अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ इक्यासीवां संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में—

(1) प्रथम अनुसूची में, "22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत "(ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" उपशीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"(iii) बायोटेकनालाजी विभाग" ;

(2) द्वितीय अनुसूची में—

(i) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत—

(क) "क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" उपशीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टि 14 का लोप किया जाएगा ;

(ख) "ख. विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" उपशीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"ग. बायोटेकनालाजी विभाग

1. बायोटेकनालाजी में समेकित योजनाएं और कार्यक्रम विकसित करना ।

2. जैविक और बायोटेकनालाजी में अनुसंधान और विकास तथा उनके विनिर्माण के विनिर्दिष्ट कार्यों का अभिज्ञान और संबंधित अनुसंधान के प्रारंभ और अन्वेषण तथा विनिर्माण क्रियाकलापों का निरीक्षण करना ।

3. बायोटेकनालाजी में अनुसंधान और विकास के लिए श्रेष्ठ-केन्द्रों का अभिज्ञान, स्थापना और सहायता तथा राष्ट्रीय पूर्विकताओं और उद्देश्यों को सक्रिय बनाने के लिए इन क्रियाकलापों का समुचित सामंजस्य सुनिश्चित करना ।

4. जैविक और बायोटेकनालाजी संबंधी उत्पादों और उनके मध्यवर्ती वस्तुओं के विनिर्माण के लिए नए प्रौद्योगिकी के आयात और अंतरण के संबंध में सरकार के छानबीन करने, सलाह देने और अनुमोदन करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य करना ।

5. भारत में बायोटेकनालाजी अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण करने के लिए सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्त विकसित करना ।

6. उत्पत्तिमूलक रूप में काम में लाई जाने वाली सामग्रियों, कल्चर कोशाणुओं, नमूनों टिशुओं और बायोटेक उत्पादों, जिनके अन्तर्गत किसी प्रकार या आकार के डी एन ए और आर एन ए भी हैं, के आयात के लिए और देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करना ।

7. बायोटेकनालाजी के क्षेत्र में सभी विनिर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षी और बहुपक्षी अनुसंधान और विकास संबंधी सहयोग और करार के लिए अन्तः मंत्रालय और अन्तः अभिकरण आसंधि स्थल के रूप में और बायोटेकनालाजी के क्षेत्र में सभी प्रौद्योगिकी अन्तरणों के लिए आसंधि स्थल के रूप में सेवा करना ।

8. कोशाणु-आधारित वैक्सीनों का विनिर्माण और उपयोजन ।

9. जहां क्षमता का अभाव है वहां बायोटेकनालाजी के क्षेत्र में जनशक्ति विकास का कार्यक्रम विकसित करना ।

10. बायोटेकनालाजी में राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए अभिकरणों, आयोगों बोर्डों, आदि के प्रशासनिक और कार्यान्वयन विभाग के रूप में सेवा करना और बायोटेकनालाजी से संबंधित जानकारी के संग्रहण और प्रसार के लिए आसंधि स्थल के रूप में भी सेवा करना ।

11. उत्पत्तिमूलक इंजीनियरी और बायोटेकनालाजी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना से संबंधित कार्य

12. विभाग के लिए कार्य-आबंटन के अधीन उल्लिखित सभी क्षेत्रों में विधायी और संसदीय अपेक्षाओं की बाबत सरकार के प्राधिकृत विभाग के रूप में सेवा करना ।" ।

जैल सिंह, राष्ट्रपति

[सं. 74/1/1/86-मंत्रि]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1986

S.O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighty first Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961—

(1) In the First Schedule, under the heading "22 Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Pradyogiki Mantralaya)", after the sub-heading "(ii) Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag)", the following sub-heading shall be added, namely :—

"(iii) Department of Biotechnology (Biotechnology Vibhag).";

(2) In the Second Schedule—

(i) under the heading "MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)"—

(a) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)", entry 14 shall be omitted;

(b) after the sub-heading "B. DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (VIGYAN AUR AUDYOGIK ANUSANDHAN VIBHAG)", and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be added, namely :—

"C. DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY (BIOTECHNOLOGY VIBHAG)

1. To evolve integrated plans and programmes in biotechnology.

2. Identifying specific programmes of Research and Development and manufacturing in biologicals and biotechnology and oversee the initiation and pursuit of related research and manufacturing activities.

3. Identify, set up and support centres of excellence for Research and Development in biotechnology and ensure proper dovetailing of these activities for activising the national priorities and objectives.

4. Act as a screening, advising and approving agent of the Government, with regard to import and transfer of new technologies for the manufacture of biological and biotechnological products and their intermediates

5. Evolve safety guidelines for biotechnology Research and Development and manufacturing in India.

6. To act as the central agency for the import of genetically manipulated materials, culture, cells, speciments, tissues and biotech products including DNA and RNA of any type of size and for promoting their production in the country.

7. Serve as the interministerial and intergency nodal point for all specific international bilateral and multilateral Research and Development collaboration and agreement in the area of biotechnology and as the nodal point for all technology transfers in the area of biotechnology.

8. Manufacture and applications of cell-based vacinnes.

9. To evolve programmes of manpower development in the areas of biotechnology where there are gaps incompetence.

10. Serve as an administrative and implementing department of agencies, commissions, boards, etc. specifically formed by the Government for fulfilling the national objectives in biotechnology and also to serve as the nodal point for the collection and dissemination of information relating to biotechnology.

11. Work relating to the setting up of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.

12. Serve as the authorised department of the Government in respect of legislative and Parliamentary requirements in all areas mentioned under Allocation of Business for the Department.".

ZAIL SINGH
President

[No. 74|2|1|86-Cab.]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986